



स्वाट टीम/थाना किरतपुर पुलिस द्वारा गलत कार्य करने से रोकने पर अपनी माता की हत्या करने वाला आरोपी बेटा अपने दोस्त सहित गिरफ्तार।

दिनांक 24.08.2021 को कामेन्द्र पुत्र राजेश निवासी ग्राम पित्तन हेडी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाने आकर एक लिखित तहरीर दी कि उसकी बहन नौता देवी पत्नी सौपाल सिंह ग्राम बाहुपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर दिनांक 23.08.2021 को अपने पिता की मृत्यु के तीजा में शामिल होने के लिए अपनी ससुराल से निकली थी परन्तु वहां नहीं पहुँची। नौता देवी उपरोक्त को काफी तलाश करने के बाद ग्राम बाहुपुरा से आलोपुर जाने वाले रास्ते पर कमल सिंह पुत्र बलराज सिंह निवासी ग्राम आलोपुर थाना किरतपुर के खेतों से नौता उपरोक्त का शव बरामद हुआ। वादी को पूर्व में ही अंदेशा था कि घटना में मृतका के पुत्र का ही हाथ है। इसलिए अभियोग पंजीकृत नहीं कराना चाहता था। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 262/21 धारा 302/201 भादवि बनाम जेठ चन्द्रपाल पुत्र नामालूम व जेठानी श्रीमति प्रभा पत्नी चन्द्रपाल निवासी बाहुपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया था।

मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर का प्रकरण की गहनता से जाँच करते हुये अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना किरतपुर/सर्विलांस/स्वाट टीम को निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल नेतृत्व में स्वाट टीम/थाना किरतपुर पुलिस द्वारा की गयी विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1- पंकज पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम बाहुपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को दिनांक 01.09.2021 को समय करीब 00:45 बजे किरतपुर बस स्टैण्ड से व 2- शुभम पुत्र सौपाल सिंह निवासी ग्राम बाहुपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को समय करीब 09:00 बजे उसके गाँव से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि पंकज उपरोक्त जो नशेड़ी एवं मादक पदार्थ का सेवन करने का आदि है तथा देहरादून में रहता है। पंकज उपरोक्त द्वारा मृतका के पुत्र शुभम उपरोक्त जो नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है, को स्मैक बेचने आदि के काम में 30,000 रु० प्रति माह की कमाई कराने का लालच दिया, जिस पर शुभम ने अपनी माँ को यह कार्य करने हेतु राजी करने के लिये पंकज से कहा। दिनांक 23.08.2021 को सुबह पंकज उपरोक्त शुभम के घर आकर उसकी माँ नौता देवी से शुभम द्वारा स्मैक बेचने व उसे 30,000 रु० प्रति माह कमाई कराने तथा अपने साथ काम पर ले जाने के लिये कहा नौता देवी ने पंकज को यह कहते हुये मना कर दिया कि यह गन्दा काम है और पंकज को डाँटकर अपने घर से भगा दिया तथा शुभम को भी डाँट-फटकार लगाई। पंकज को यह बात बुरी लगी शुभम भी उसके साथ पीछे-पीछे उसके साथ चला गया क्योंकि शुभम भी पंकज के साथ स्मैक बेचने का इच्छुक था। दोनों ने धर्मशाला में बैठकर भांग का नशा किया और शुभम ने कहा कि मुझे तेरे साथ चलना है चाहे कुछ भी करना पड़े तथा शुभम ने पंकज को बताया कि मेरी माता अपने पिता के तीजे में ग्राम पित्तनहेडी जाने के लिये अभी घर से निकली है उसके बाद दोनों उसके पीछे-पीछे आलोपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल दिये। समाधी के पास पहुँच कर शुभम ने काले रंग का अंगोछा अपनी माता के सिर पर डालकर उसकी पहनी साड़ी से मुँह ढक दिया तथा पंकज ने पीछे से पकड़कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को गन्ने के खेत में ले जाकर छिपा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- पंकज पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम बाहुपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2- शुभम पुत्र सौपाल सिंह निवासी ग्राम बाहुपुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

स्वाट टीम / सर्विलांस टीम:-

- 1- निरीक्षक श्री नरेश कुमार सिंह 2- उ0नि0 श्री जर्जर हुसैन 3- मुख्य आरक्षी राजकुमार नागर 4- कां0 दीपक तोमर 5- कां0 मौ0 खालिद 6- कां0 मौ0 रईश 7- कां0 मोहित शर्मा 8- कां0 अरुण कुमार 9- कां0 मोनू कुमार 10- कां0 बेताब जावला 11- कां0 सुमित 12- कां0 रंजीत 13- कां0 मोहित कुमार

थाना किरतपुर टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार शर्मा 2. उ0नि0 श्री मीर हसन 3. उ0नि0 श्री श्यामवीर सिंह 4. का0 2365 नीरज कुमार 5. रि0का0 1607 पवन कुमार

टीम के उत्सावर्धन हेतु पुरस्कार राशि-15000 / रूपये



थाना मण्डावली:- आज दिनांक 01.09.2021 को वाद संख्या 1145/00 धारा 323/504/506 आईपीसी का एनबीडब्ल्यू अभियुक्त नीरज पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्रा0 नियामतपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 01.09.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी जमालपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।



जनपद बिजनौर

मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेस-03 के तहत आज दिनांक 01.09.2021 को थाना प्रभारी शेरकोट तथा एन्टी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत रानी फूलवती इंटर कॉलेज में जाकर बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेस-03 के तहत आज दिनांक **01.09.2021** को थाना नहतौर की मिशन शक्ति/एन्टीरोमियों टीम द्वारा ग्राम अलअदादपुर मुबारकपुर उर्फ नवादा चौहान में महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करते हुए हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेस-03 के तहत आज दिनांक **01.09.2021** को जनपदीय प्रभारी एन्टी रोमियों टीम द्वारा बाजार, बस स्टैण्ड, पार्क, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। बाजार में बेवजह घूम रहे मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेस-03 के तहत आज दिनांक **01.09.2021** को थाना धामपुर की एन्टीरोमियों टीम द्वारा ग्राम समीपुर में विभिन्न स्थानों एवं बाजार, कस्बों, मौहल्लों में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। बाजार में बेवजह घूम रहे मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

